न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।
उपस्थितः–सुरेन्द्र मोहन सहाय...एच०जे०एस०
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 787/2026
Computer Registration No.1690/2026
CNR No. UPFZ010046702026

अम्बुज पाण्डेय उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र श्री अजय कुमार पाण्डेय निवासिनी इच्छोई, थाना खण्डासा, जिला अयोध्या।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

मु०अ०सं० 133/2026,
धारा 80(2), 85, 352,
131 बी०एन०एस०,
धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या।

जमानत आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **अम्बुज पाण्डेय** द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस, मु०अ०सं० 133/2026, धारा 80(2), 85, 352, 131 बी०एन०एस०, धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादा मुकदमा द्वारिका प्रसाद का कथन है कि उनकी पुत्री कीर्ति का विवाह दिनांक 28.02.2022 को अम्बुज पांडे के साथ हुआ था। शादी के कुछ माह बाद से दहेज एवं चार पहिया वाहन की मांग की जाती थी और इसी बात को लेकर वादी मुकदमा की पुत्री के साथ उसकी सास मंजू, ससुर अजय कुमार पांडे, ननद आकांक्षा, पति अम्बुज पांडे तथा देवर आशुतोष पांडे द्वारा आए दिन गाली–गलौज व मारपीट की जाती थी एवं उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। दिनांक 12.06.2026 को प्रातः लगभग 11.30 बजे देवर आशुतोष पांडे ने वादी मुकदमा को फोन द्वारा सूचना दी कि जल्दी आ जाइए, भाभी ने फांसी लगा ली है। सूचना पर जब वादी मुकदमा वहां पहुंचा तो उसकी पुत्री फांसी पर लटकी हुयी नहीं थी, बल्कि उसे बिस्तर पर लिटाया गया था।

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या में प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध धारा 85, 80(2), 352, 131 भा०न्या०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

4. आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि वह निर्दोष हैं, रंजिशन फर्जी फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से लिखाई गई है, विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। आवेदक की शादी 2022 में वादी की पुत्री के साथ हुई थी। वादी की पुत्री द्वारा दहेज मांगने या प्रताड़ित

करने के संबंध में पूर्व में कोई शिकायत नहीं की गई है। आवेदक मृतका का पति है। आवेदक व उसके परिवारवालों द्वारा तुरन्त ही मृतका के मायके वालों को सूचना दी गई है। वादी की पुत्री को कोई भी चोट नहीं आयी है। मृतका द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या किया है, आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई दोष नहीं है। आवेदक व मृतका का एक बेटा है जो कि आवेदक की मां के साथ ही रह रहा है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4. विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रिमिनल ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि प्रकरण गंभीर है। जमानत का प्रबल विरोध करते हुए जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

5. जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई के दौरान वादी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आवेदक व उनकी पुत्री कीर्ति की शादी दिनांक 28.02.2022 को हुई थी। दोनों राजी खुशी से रह रहे थे। दोनों के संसर्ग से एक पुत्र जो कि सास–ससुर के साथ रह रहा है। शपथकर्ता की पुत्री द्वारा फांसी लगा लिया था, जानकारी होने पर आवेश में आकर लोगों के बहकावे में ससुराल वालों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया। अर्थात उनके द्वारा जमानत पर अनापत्ति की गई है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), विद्वान अधिवक्ता वादी तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामला मृतका कीर्ति से दहेज की मांग के बाबत उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए प्रताड़ित करने एवं उसकी दहेज हत्या कारित करने के अभियोग से संबंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "Due to asphyxia as a result of antemortem Hanging" अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के गले में लिगेचर मार्क के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य भाग पर मृत्यु पूर्व की कोई अन्य चोट पाया जाना उल्लिखित नहीं है। पंचायतनामा में भी राय पंचान में मृतका की मृत्यु का कारण स्वयं फांसी लगाना अभिकथित किया गया है। केस डायरी के परिशीलन से इस स्तर पर मृत्यु के ठीक पूर्व प्रताड़ना/मारपीट आदि के बाबत कोई अभियोजन प्रपत्र उपलब्ध होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। वादी पक्ष द्वारा भी जमानत के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनापत्ति की गई है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में सह अभियुक्त अर्थात ससुर अजय कुमार पाण्डेय का जमानत आवेदन दिनांक 23.06.2026 एवं सास मंजू पाण्डेय का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2026 को स्वीकार हो चुका है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अम्बुज पाण्डेय** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 133/2026, अन्तर्गत धारा 85, 80 (2), 352, 131 भा०न्या०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत उक्त प्रथम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 1,00,000 (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

दिनॉक:13.08.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.CodeUP6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या